न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 5/2025

सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्रीनारायण शर्मा निवासी ढोला का खेडा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 11.02.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 4.12.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1. आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 24.9.2024, 16.10.2024 व रिमाइंडर पत्रों की सत्य प्रति उपलब्ध करावे ।
2. आपके कार्यालय के पत्रों पर श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोक द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति मालपुरा को लिखे गए सम्पूर्ण पत्रों व उनकी पालना में ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति धोली द्वारा प्रस्तुत अपील व उस पर प्रशासन स्थापना समिति द्वारा निर्णय किया गया हो तो निर्णय की सत्य प्रति उपलब्ध करावे।
3. प्रार्थी द्वारा मेल से भेजे गये पत्र दिनांक 26.11.2024 पर आप द्वारा की गई कार्यवाही व उस पर तहसीलदार मालपुरा द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही की सत्यपति उपलब्ध करावे।
4. पटवारी हल्का घोली श्री यदुवीर धाकड के सबंध में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की सत्यप्रति उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 109 दिनांक 24.01.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 172 दिनांक 05.01.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 94 दिनांक 23.01.2025 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)